डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल वैशाली नगर

2015
14-7-11

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

क्रमांक–जिशिअ/प्राशि/जय/आर.टी.ई./2011/ 54 दिनांक–30.06.2011

D.A.V. CENT. PUB. SCHOOL
RECEIPT
No. 5042
25/7/011

अध्यक्ष/सचिव/संस्थाप्रधान

विषयः—बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानो के अन्तर्गत असुविधाग्रस्त एवं दुर्बल वर्ग के बालक/बालिकाओं को प्रवेश देने बावत्।

महोदया/महोदय,

जैसा आपको विदित है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत असुविधाग्रस्त एवं दुर्बल वर्ग के निर्धारित कैचमेन्ट एरिया के बालक/बालिकाओं को प्रथम कक्षा में निर्धारित सीटो के 25 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश देने हेतु अपेक्षा की गई है। इस संबंध में प्राप्त महत्वपूर्ण आदेश/निर्देश/प्रावधानों का विवरण पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है आपसे अनुरोध है कि उक्त वर्ग के बालक/बालिकाओं हेतु एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों की पालना करवाकर इन बालक/बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था कराते हुए राष्ट्र के निर्माण में सहयोग प्रदान करने का श्रम करावें।

आभार सहित

भवदीय

संलग्न–उपरोक्तानुसार

डॉ. के.पी. सिंह
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला कलैक्टर, जयपुर।
4. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट (www.rajssa.nic.in) का अवलोकन करें।

Mr. ... for the needful

PRINCIPAL
D.A.V. Cent. Public School
JAIPUR